य उपखण्ड अधिकारी , बीदासर जिला चूरू राजस्थान

अधिकारी – श्री अमीलाल यादव आर.ए.एस.

र्ना पत्र संख्या – 101 / 24

नांक :– 5-2-2025

MS NO :

1. करणीसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जिनरासर तहसील सुजानगढ़ भागीदार फर्म श्री कृष्णा स्टोन केशर चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. नेहा शेखावत पत्नी श्री महिपाल जाति राजपूत निवासी बोवासर बीदावतान तहसील सुजानगढ़ भागीदार फर्म श्री कृष्णा स्टोन केशर चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

.................प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब बीदासर जिला चूरू राजस्थान

................अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता – विरेन्द्र कुमार पारीक
2. अप्रार्थी पेरोकार राज उपस्थित ।

–: निर्णय :–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 एवं मंजू कंवर पत्नी गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गुसाईसर तहसील रतनगढ़ जिला ने सीमा ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू के ख0न0 913 तादादी 0.8220 हैक्टेयर भूमि दिनांक 11.11.2021 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय की थी क्रय के बाद राजस्व कर्मचारियों ने इस खरीद शुदा भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में श्री कृष्णा स्टोन केशर चाड़वास खातेदार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर दिया परंतु जरिये भागीदार फर्म राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होना चाहिए था परंतु भूलवंश मात्र फर्म का नाम अंकित कर दिया गया । साझेदारों के नाम जो विक्रय पत्र में अंकित थे का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं किया । फर्म के तीन साझेदार करणीसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्रान जिनरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू, श्रीमती नेहा शेखावत पत्नी श्री महिपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बोवासर बीदावतान तहसील सुजानगढ़ श्रीमती मंजू कंवर पत्नी गोविन्द पत्नी गोविन्दसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गुंसाईसर तहसील रतनगढ़ जिला चूरू ने यह भूमि क्रय की थी उसके पश्चात् तीनो भागीदारों मे से एक भागीदार श्रीमती मंजू कंवर पत्नी गोविन्दसिंह निवासी ग्राम गुंसाईसर तहसील रतनगढ़ जिला चूरू स्वेच्छा से साझेदारी से अलग हो गई व शेष दोनों भागीदार इस फर्म के 50–50 प्रतिशत के हिस्सेदार हो गये । जो संशोधित साझेदार विलेख में अंकन कर साझेदारी विलेख का संशोधन पत्र तस्दीक करवा लिया एवं शेष दोनो साझेदार पक्षकार संख्या 1 करणीसिंह व नेहा कंवर पक्षकारा संख्या 2 इस फर्म में वहिस्सा बराबर के साझेदार रह गये । तथा इस क्रय की गई भूमि के मालिक हो गये परंतु राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार सिफ फर्म का नाम चला आ रहा है साझेदारों बाबत कोई अंकन नहीं है । प्रार्थीगण ने दिनांक 06.11.2024 को पटवार हल्का को रिकॉर्ड में संशोधन हेतु मौखिक रूप से कहा परंतु राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन नहीं हुआ ।

लगातार.........2पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीदासर जिला–चूरू

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि फर्म को अपना काम आगे बढाने के लिये इस भूमि पर व्यवसाय स्थापित करने , संपरिवर्तन करवाने, ऋण आदि की पत्रावली बैंक आदि वित्तीय संस्थानों में प्रस्तुत करने बाबत कार्यो में परेशानी होती है तथा फम्र की सम्पति दर्शाने, उदघोषणा करने आदि बातो को लिकर खातेदारी में साझेदारों के नाम न होने से प्रार्थीण अपने वाजिब अधिकारो से महरूम हो रहे है व प्रार्थीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वो हाल ख0न0 913 तादादी 0.8220 हैक्टेयर वाके सीमा ग्राम चाडवास तहसील बीदासर जिला चूरू की खातेदारी में श्री कृष्णा स्टोन केशर के साथ साझेदार करणीसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत निवासी जिनरासर एवं नेहा कंवर शेखावत पत्नी श्री महिपालसिंह जाति राजपूत निवासी बोबासर बीदावतान अंकित करवायें। अत : प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बीदासर को संशोधन का आदेश फरमानें की कृपा करें ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई । जिस पर तहसीलदार बीदासर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत रोही ग्राम चाडवास के ख0न0 913 तादादी 0.8220 हैक्टेयर में विक्रय पत्र के अनुसार सिर्फ फर्म का नाम अंकित है साझेदारों के नाम अंकित नहीं है । अतः वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम बतौर साझेदारों जोड़ा जाना उचित है ।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार बीदासर का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 11.11.2021 साझेदारी संशोधित विलेख आदि के अवलोकन किया गया । अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, तथा सलंग्न दस्तावेात के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार बीदासर को यह आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत ख0न0 913 तादादी 0.8220 हैक्टेयर रोही ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर में विक्रय पत्र दिनांकित 11.11.2021 के रूह से फर्म के साथ साझेदारों का नाम करणीसिंह पुत्र खेतसिंह जाति राजपूत निवासी जिनरासर एवं नेहा कंवर शेखावत पत्नी श्री महिपालसिंह जाति राजपूत निवासी बोबासर बीदावतान भी बतौर खातेदार दर्ज किया जावें । अन्य प्रविष्टि अगर कोई है तो यथावत रहे । अप्रार्थी तहसीलदार बीदासर को पालनार्थ प्रेषित हो ।

निर्णय आज दिनांक 5-2-2025 को सरे इजलास सुनाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षतिर किया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीदासर जिला-चूरू

अभीलाल यादव
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)